न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 211/2022
अनवान : –

1. मोहित पुत्र वेद प्रकाश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रूकमणी पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रूकमणी पत्नी वेदन प्रकाश जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. वेद प्रकाश पुत्र लालचन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 03/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.3660 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 420/327 के खसरा नं. 1496/1338 की 2.5300 है० भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर में सायलान के दादा के नाम से कुल 0.9860 है० कृषि भूमि थी जो कि सायलान के दादा को उनके पिता रावताराम से विरास्तन प्राप्त हुई थी उक्त भूमि को सायलान के दादा ने बेचान कर दिया था तथा सायलान के दादा ने दादालाई भूमि का बेचान कर उन पैसो से ढ़ाणी रायकान में 10 बीघा खरीद कर सायलान के पिता यानी गैरसायल संख्या 2 के अकेले के नाम दर्ज करवा दी इसलिए उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी भूमि है। रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे का कुल क्षेत्रफल 0.3660 है० भूमि व रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 420/327 के खसरा नं. 1496/1338 की 2.5300 है० भूमि सायलान की दादालाई भूमि है जिसमें सायल संख्या 1 ता 2 का जन्मजात हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरुम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 21/21 की कुल 0.3660 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 420/327 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 ता 2 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा 3 बारानी की वाद भूमि का प्रार्थीगण के दादा द्वारा बेचान कर उक्त आमदन से रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 420/327 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि खरीद कर अप्रार्थी स0 2 यानि की प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज करवा दी लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह साबित नही है कि रोही मौजा 3 केएनएन की भूमि का बेचान कर उक्त आमदन से ही रोही मौजा ढाणी रायकान की भूमि खरीद की गई है अतः रोही मौजा ढाणी रायकान की भूमि हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है लेकिन रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 21/21 की कुल 0.3660 हैक्ट भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पड़दादा रावता के नाम दर्ज थी एवं वर्तमान में अप्रार्थी स0 1 यानि की प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक है इसलिए 8 केएनएन की भूमि बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है अतः विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का सन्तुलन भी आंशिक प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थीगण को रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 21/21 की कुल 0.3660 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है परन्तु रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)
Rahul

मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 420/327 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि बाबत पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 21/21 की कुल 0.3660 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि उक्ता भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 420/327 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में दिनांक 15.09.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:44 IST
Reason: SelfAttested